राजस्थान – सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर भीलवाडा

क्रमांकःन्यायालय / न्यायशुल्क रिफण्ड / 2019 / 7098 दिनांक– 30.12.2019

:: आदेश ::

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश गुलाबपुरा जिला भीलवाडा द्वारा प्रकरण सं. 03 / 2002 में निर्णय पारित करते हुए यह आदेश दिया है कि वादी मै. सुपर सिंकोटेक्स जरिये जोईन्ट मैनेजर डायरेक्टर वी.एस. संचेती न्यायशुल्क राशि वापस प्राप्त करने के अधिकारी है और आदेशानुसार प्रकरण में रूपया 25,050 / – अक्षरे पच्चीस हजार पचास रूपये मात्र न्याय शुल्क लौटाये जाने का प्रमाण–पत्र जारी किया गया है।

अतः न्यायालय आदेशानुसार वादी मै. सुपर सिंकोटेक्स जरिये जोईन्ट मैनेजर डायरेक्टर वी.एस. संचेती को 25,050 / – अक्षरे पच्चीस हजार पचास रूपये मद 0030 में वापिस करने (रिफण्ड) की स्वीकृति एतदद्वारा प्रदान की जाती है।

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रतिलिपिः–

1 अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश गुलाबपुरा जिला भीलवाडा को उनके पत्र क्रमांक 1069 दिनांक 20.12.2019 के संदर्भ में सूचनार्थ।

2 प्रभारी अधिकारी लेखा अनुभाग कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि वादी को उपरोक्तानुसार राशि का भुगतान करने की कार्यवाही करें एवं संलग्न प्रपत्र पार्ट तृतीय की पूर्ति की जाकर सम्बन्धित न्यायालय में भिजावें।

3 कोषाधिकारी भीलवाड़ा को प्रेषित कर लेख हैं कि वादी द्वारा स्टाम्प की जमा राशि के चालान की प्रति चाहे जाने पर उपलब्ध करावें ।

4 वादी मै. सुपर सिंकोटेक्स जरिये जोईन्ट मैनेजर डायरेक्टर वी.एस. संचेती को प्रेषित कर लेख है कि जमा राशी चालान की फोटोप्रति, बैंक खाता नम्बर, पैन नम्बर, आधार नम्बर की फोटोप्रति एवं मोबाईल नं. लेखा शाखा में प्रस्तुत करें ।

-sd-
जिला कलक्टर
भीलवाड़ा